

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या-08/आ०-05-04/2024...../जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 882 दिनांक 18.10.2023 द्वारा मो० कलीम उद्दीन, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, काराकाट, रोहतास-सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरुद्ध दिनांक 13.09.2023 को समाचार पत्र में प्रकाशित खबर मध्य विद्यालय, रघुनाथपुर, प्रखंड काराकाट की एक शिक्षिका साल भर से विद्यालय नहीं आने, दूसरे शिक्षक द्वारा हाजरी बनाकर विद्यालय से निकल जाने के कारण, अन्य शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा अल्पाहार अवधि में ही विद्यालय के छात्र/छात्राओं की छुट्टी दे दी गई, विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक श्री प्रेम रंजन द्वारा विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, काराकाट के साथ घुमते हैं, संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया।

तदालोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 227 दिनांक 07.03.2024 द्वारा मो० कलीमुद्दीन से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उक्त के आलोक में मो० कलीम उद्दीन द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उक्त स्पष्टीकरण पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 101 दिनांक 28.01.2025 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास से मंतव्य प्रतिवेदन की मांग की गई एवं स्मारित किया गया। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 649 दिनांक 26.05.2026 द्वारा मो० कलीमुद्दीन के स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव अभिकथन में अंकित किया गया है कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास के गोपनीय शाखा द्वारा ज्ञापांक 608 दिनांक 09.09.2023 द्वारा निदेशित पत्र के आलोक में आवंटित प्रखंड नासरीगंज के अमियावर पंचायत में दिनांक 13.09.2023 को जातीय जनगणना का जाँच कार्य कर रहा था। इसी क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि मध्य विद्यालय रघुनाथपुर, काराकाट में घंटी बजाकर छुट्टी कर दिया गया है। सूचना मिलते ही नासरीगंज प्रखंड से भागकर प्रखंड संसाधन केन्द्र, काराकाट आया। फिर वहाँ से लिपिक ददन प्रसाद के साथ विद्यालय पर 01.21 अपराह्न में पहुँचा। प्रधानाध्यापक द्वारा ज्ञात हुआ कि विद्यालय के उपस्थित सभी शिक्षक वर्गकक्ष में दिनांक 12.09.2023 को पढ़ा रहे थे। तभी अचानक लगभग 11.30 पूर्वाह्न बजे शिक्षक उदय कुमार पाण्डेय ने छुट्टी की घंटी बजा दी और विद्यालय के सभी बच्चों को घर भेज दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पूर्व में मध्याह्न भोजन का संचालन की जिम्मेवारी उन्हीं के पास थी। लेकिन इस जिम्मेवारी का अच्छी तरह से निर्वहन नहीं करने के कारण प्रधानाध्यापक ने इस जिम्मेवारी से उनको अलग कर दिया। इन्हीं कारणों से नाराज होकर उनके द्वारा विद्यालय कार्य को बाधित किया गया। इस विद्यालय की एक शिक्षिका सुष्मिता कुमारी दिनांक 01.10.2021 से अवैतनिक अवकाश में थी, जिसके कारण उसका वेतन भुगतान नहीं हो रहा था। साथ ही आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक प्रेम रंजन को लेकर वे नहीं घूमते हैं। दिनांक 10.09.2023 रविवार से ही दिनांक 14.09.2023 तक उनकी ड्यूटी जातीय जनगणना कार्य में

नासरीगंज प्रखंड में था जहाँ वे अकेले जा रहे थे। कभी-कभी कार्यालय अवधि समाप्त होने पर उसके साथ वे बिक्रमगंज चले जाते हैं, क्योंकि उनके (आरोपी पदाधिकारी) संबंधी का आवास और उनका (श्री रंजन) आवास बिक्रमगंज में है। विद्यालय के जाँच प्रतिवेदन देने में विलम्ब होने का कारण जनगणना कार्य में व्यस्तता बताया गया, फिर भी टाइप कराकर जाँच प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के व्हाट्सएप पर भेज दिया गया।

उक्त बचाव अभिकथन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक -2819 दिनांक-13.09.2023 द्वारा उक्त आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण मो० कलीम उद्दीन से की गयी थी। पुनः कार्यालय पत्रांक 2878 दिनांक 19.09.2023 द्वारा मध्य विद्यालय, रघुनाथपुर, काराकाट का जाँच प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर ससमय उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप मो० कलीम उद्दीन का वेतन स्थगित किया गया था। मो० कलीम उद्दीन द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त कार्यालय ज्ञापांक 494 दिनांक 09.02.2024 द्वारा स्थगित वेतन भुगतान विमुक्त किया गया। तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पी० एम० पोषण योजना, रोहतास, सासाराम के पत्रांक 455 दिनांक 16.09.2023 को समर्पित जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 5 में मध्य विद्यालय, रघुनाथपुर, काराकाट की एक शिक्षिका सुमिता कुमारी, शिक्षिका, चिकित्सा के आधार पर दिनांक 30.09.2021 से अवैतनिक अवकाश में थी। जाँच के समय प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन उपस्थापित किया गया था। श्री प्रेमरंजन द्वारा विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, काराकाट के साथ घुमने के संबंध में जाँच प्रतिवेदन के मंतव्य कंडिका-2 में अंकित किया गया है कि श्री प्रेमरंजन शिक्षक द्वारा स्वीकार किया गया है कि एक दिन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के साथ गये थे। अनुमण्डल पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास के ज्ञापांक 608 दिनांक 09.09.2023 द्वारा दिनांक 10.09.2023 से 14.09.2023 तक जातीय जनगणना कार्य हेतु मो० कलीमुद्दीन, नासरीगंज प्रखण्ड में प्रतिनियुक्त थे। मध्य विद्यालय, रघुनाथपुर में घटित घटना के संबंध में दिनांक 13.09.2023 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ था। उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करना परिस्थितिजन्य है।

प्राप्त आरोप पत्र, बचाव अभिकथन एवं प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास के मंतव्य से सहमत होते हुए मो० कलीम उद्दीन, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, काराकाट, रोहतास-सम्प्रति-सेवानिवृत्त को उक्त आरोप से मुक्त किया जाता है।

इसके साथ ही इस मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह०/-

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 08/आ०-05-04/2024.....1084

पटना, दिनांक 30.09.2024

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-17(पेंशन शाखा)/जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), रोहतास/मो० कलीम उद्दीन, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, काराकाट, रोहतास—सम्प्रति—सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई-मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।